



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26092026-276494
CG-MH-E-26092026-276494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5035]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5035]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 22 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 5242(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना (131 किलोमीटर)” “विशेष रेलवे परियोजना” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तालुका	गांवों के नाम
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एव भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा	खंडवा	टिघरिया, कोहदड
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एव भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना	पंधाना	टाकलीकला, डोंगरगांव

[फ़ा. सं. G197/BSL-KNW 3rd & 4th Line/Additional Vlg/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5242(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th Line (131 Kms)**” in Khandwa District mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	Villages
1	Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Khandwa	Khandwa	Tighariya, Kohdad
2	Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Pandhana	Pandhana	Takalikala, Dongargaon

[F. No. G197/BSL-KNW 3rd & 4th Line/Additional Vlg/7A]

BHUVNESH KUMAR GUTPA, Chief Administrative Officer (Construction)